# 1892 का भारतीय परिषद् अधिनियम

1861 का भारतीय परिषद् अधिनियम जहां एक ओर उत्तरदायी सरकार स्थापित करने में असमर्थ रहा वहीं दूसरी ओर लिंटन की बर्बर नीतियों से जनता में असंतोष व्याप्त हो गया था। ऐसी स्थिति में 1892 का भारतीय परिषद् अधिनियम पारित किया गया।

1892 के भारतीय परिषद् अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे -

(1) अतिरिक्त सदस्यों की संख्या केन्द्रीय परिषद् में बढ़ाकर कम से कम दस व अधिकतम 16 कर दी गयी। बम्बई तथा मद्रास की कौंसिल में 8 से 20 तक अतिरिक्त सदस्य, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त व बंगाल की कौंसिलों में भी 20 अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किये गये।

(2) परिषद् के सदस्यों को कुछ अधिक अधिकार मिले।

Scanned with CamScanner

वार्षिक बजट पर वाद-विवाद व इससे सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते थे, परन्तु मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया था। अतिरिक्त सदस्यों को बजट से सम्बन्धित विशेष अधिकार नहीं दिये गये। हां, वे प्रशासन से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते थे, पर लेजिस्लेटिव कौंसिल के अध्यक्ष को किसी भी प्रश्न के अस्वीकार करने का अधिकार था, पूरक प्रश्न वे नहीं पूछ सकते थे।

(3) अतिरिक्त सदस्यों में से 2/5 सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए थीं। ये सदस्य भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों व विशिष्ट हितों के आधार पर नियुक्त किये गये। यह परम्परा कालान्तर में भारतीय राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधक बनी।

इस अधिनियम द्वारा जहां एक ओर संसदीय प्रणाली का रास्ता खुला, भारतीयों को कौंसिलों में अधिक स्थान मिला वहीं दूसरी ओर चुनाव पद्धति एवं गैर सदस्यों की संख्या में वृद्धि ने असंतोष उत्पन्न कर दिया।

## 1909 का भारतीय परिषद् अधिनियम

इस अधिनियम को मार्ले-मिण्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यत: इस अधिनियम का उद्देश्य कांग्रेस के उदारवादी दल के नेताओं एवं मुसलमानों को पटाना तथा उग्र राष्ट्रवादी तत्वों का दमन करना था।

इस अधिनियम की मुख्य धारायें निम्नलिखित थीं -

(1) केन्द्रीय कौंसिल में विधि से सम्बन्धित कार्यों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गयी। इसमें 27 निर्वाचित व 33 मनोनीत सदस्य थे। कार्यकारिणी के 6 सदस्य, 1 सेनाध्यक्ष, 1 प्रान्तीय गवर्नर व गवर्नर जनरल को मिलाकर 69 सदस्यों की केन्द्रीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल की स्थापना की गयी।

(2) बंगाल, उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा मद्रास आदि में विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 और पंजाब, वर्मा, असम की विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या तीस निश्चित की गयी।

(3) विधान परिषद् के अधिकारों में वृद्धि हुई। उसे सामान्य सार्वजनिक हितों से सम्बन्धित प्रस्तावों पर बहस करने व पूरक प्रश्नों को पूछने का अधिकार मिल गया। वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार तो परिषद् के पास था परन्तु परिषद् इस पर मतदान नहीं करवा सकती थी। विधान परिषद् के सदस्य अध्यक्ष की सहमति से सार्वजनिक

Scanned with CamScanner

(4) केन्द्रीय व प्रान्तीय कार्यकारिणी परिषद् में एक-एक भारतीय सदस्य नियुक्त हुए।

(5) मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बुराई थी मुसलमानों को पृथक् प्रतिनिधित्व प्रदान। अधिनियम में ऐसी व्यवस्था कर सरकार ने भारत में साम्प्रदायिकता का बीज बो दिया जो कालान्तर में भारत विभाजन का कारण बना।

मदन मोहन मालवीय, गोखले जैसे उदारवादी नेता, जो पहले इस अधिनियम के प्रशंसक थे, इसके सबसे बड़े आलोचक बन गये। रैम्जे मैक्डोनल्ड ने लिखा कि मार्ले-मिण्टो सुधार जनतंत्रवाद और नौकरशाही के बीच एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था।

Scanned with CamScanner